



विक्रय-पत्र

145698

भूखण्ड का मूल्य : 9,68,000/-

स्टाप = 20000 X 2 = 40000/-

टिकिट = 5000 X 1 = 5000/-

= 1000 X 3 = 3000/-

योग = 48000/-

नाम विक्रेता :-

सोनाराम पुत्र श्री चन्द्राराम सैनी उम्र 80 साल जाति माली निवासी मानपुरा तन नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

नाम क्रेता :-

संत राधा रमण शिक्षण संस्थान, पाटन रोड, मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) जरिये सचिव प्रभुदयाल यादव पुत्र श्री रुड़मल यादव उम्र 66 साल जाति यादव निवासी रामनगर, भूदोली रोड, नीमकाथाना जिला सीकर (राज.), अध्यक्ष हरलाल सैनी पुत्र श्री सोहनलाल सैनी उम्र 45 साल जाति माली निवासी मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. विक्रय किये गये भूखण्ड का विवरण :- नगरपालिका नीमकाथाना (सीकर) के पट्टा संख्या 527 दिनांक 03.06.2008 द्वारा जारी पट्टा जिसका कुल क्षेत्रफल 2492 वर्गमीट शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ भूखण्ड का विक्रय किया गया है। जिसकी नाम व सीमाएं संलग्न नक्शे में अंकित है।
2. विक्रय भूखण्ड ग्राम मानपुरा के ख.नं. 72/2/1 पैराफेरी क्षेत्र में सड़क के पीछे स्थित है।
3. विक्रय भूखण्ड मौके पर खाली है, कोई निर्माण नहीं है।

सोनाराम

१२८१८८५
अध्यक्ष

संत राधा रमण शिक्षण संस्थान
तहसील नीमोद नीमकाथाना

लगातार 2
JM

1887
31-12-12

सोनाराम, दुर्गा पटेल के हैं जाति मालि चिप्रमि मानकुरा तक भेजोग

1000x3, 20,000 x 2, 40,000x1 = 48,000/-

R.N. वाला
स्टान्डर्ड हर
ला. नं. 04/09
श्रीगंगाधर
31/12/12

31/12/12 का 11 से 3 PM
दर 24 प्रति रुपये के दर पर चिप्रमि नोम का बांडी
के समान कागज इकाया रुपये का बांडी
वी सोनाराम
बांडी मालि
के हाथों में दर 8/-
चिप्रमि 48,000/-

क्रमांक अस्तित्व का दर
पर चिप्रमि नोम का बांडी

सोनाराम

प्रातिलिपि शुल्क 3.00
इन्हारेसमेंट शुल्क 3.00 अन्य शुल्क 48.50
कमी शुल्क 43.00 इत्यादि 155.50
रसीद संख्या R-3812 का 31.12.12
3740

उप प्रजीयक सैमकाश्याना

५/१४/१८



सोनाराम
दर 8.0
बांडी मालि बदलाव
प्रातिलिपि शुल्क 3.00 अन्य शुल्क 48.50
इन द समान के लिए दर 8/- की दर से बदलाव किया गया
रसीद की राशि 155.50 रुपये का दर 8/- की दर से बदलाव किया गया
रसीद की राशि 96.80/-

प्रातिलिपि शुल्क
अन्य शुल्क



राजस्थान RAJASTHAN



- 11211 145699
4. विक्रय भूखण्ड स्थानीय निकाय एवं सरकारी भूमि में नहीं है।
 5. विक्रय भूखण्ड शिक्षण संस्थान प्रयोजनाथ है।
 6. फोटो कोपी पट्टा, नजरी नकशा, घोषणा पत्र, फोटो संलग्न हैं।
- विशद विवरण :- मैं सोनाराम पुत्र श्री चन्द्राराम सैनी जाति माली निवासी मानपुरा तन नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) का रहने वाला हूँ नगरपालिका नीमकाथाना (सीकर) के पट्टा संख्या 527 दिनांक 03.06.2008 द्वारा जारी पट्टा जिसका कुल क्षेत्रफल 2492 वर्गगज शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ भूखण्ड का पट्टा मुझ विक्रेता के नाम से है। जिस पर मैं विक्रेता मालिक काबिज हूँ। मैंने मेरे उक्त भूखण्ड पट्टा का पंजीयन दिनांक 10.06.2008 पुस्तक संख्या 1, भाग 225 के पृष्ठ नं. 29, क्रमांक 1534 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जित्त संख्या 221, पृष्ठ संख्या 72 से 73 पर चस्पा किया गया इस प्रकार उक्त पट्टा भूखण्ड की मैं विक्रेता मात्र मालिक काबिज हूँ। उक्त पट्टा भूखण्ड को विक्रय करने का मुझ विक्रेता को पूर्ण अधिकार है। मुझ विक्रेता को पारिवारिक कार्यवश रूपयो की आवश्यकता होने के कारण मैंने मेरे उपरोक्त वर्णित भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 2492 वर्गगज का विक्रय उपरोक्त क्रेता संत राधा रमण शिक्षण संस्थान, पाटन रोड, मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) जरिये सचिव प्रभुदयाल यादव पुत्र श्री रुडमल यादव जाति यादव निवासी रामनगर, भूदोली रोड, नीमकाथाना जिला सीकर (राज.), अध्यक्ष हरलाल सैनी पुत्र श्री सोहनलाल सैनी जाति माली निवासी मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) से कीमत राशि 9,68,000/- रुपये अंकेही नो लाख अडसठ हजार रुपये नगद प्राप्त करके विक्रय कर दिया हैं। कब्जा मौके पर उपरोक्त क्रेता का भूखण्ड पर करा दिया है। उक्त भूखण्ड के स्वामित्व के जो अधिकार मुझ विक्रेता को प्राप्त थे, वे समस्त अधिकार क्रेता को प्राप्त हो चुके हैं। विक्रय भूखण्ड सभी प्रकार के ऋण भारों से मुक्त हैं, कोई भार बाकी नहीं है। अब इस विक्रय किये गये भूखण्ड पर मुझ विक्रेता एवं मेरे वारिसान का कोई हक उग्र नहीं रहा तथा भविष्य में भी नहीं होगा। क्रेता उक्त भूखण्ड अपने नाम पट्टा अमल अपने नाम करावे, रहन करे, विक्रय करे, निर्माण करावे, अपने शिक्षण संस्थान के उद्देश्य

रमण शिक्षण संस्थान

८२ ल. ल. ८८
अद्यक्ष

संत राधा रमण शिक्षण संस्थान

लग्नातार 3

सचिव
प्रभुदयाल
राजस्थान

1867
 31-12-12 $1000 \times 3, 20000 \times 2, 15,000 \times 1 = 578,000/-$

राज्य बंदर
 राज्य बंदर
 ला. नं. 04/08
 नीमुखामा
 31/12/12

~~जलारपुर संग्रह~~
 दिन प्रति 13340/- का 53 माले
 वस्ताव 31524/- 12/
 शो 201 ग्राम 30
 वाति 101 ग्राम 30
 दृष्टि पहचान 61
 इला सवय 61

एवं वंशीयक वीथ का चाहा

जलारपुर

RL



31-12-12 1
 अवधारणा 339 के पृष्ठ 67 तात्परा 629
 एवं वंशीयक किंवा असिद्धित ग्राम
 दृष्टि 335 पृष्ठ सं 208-207 (205-207)
 एवं वंशीयक किंवा ग्राम

की पूर्ति के उपयोग-उपभोग में लेवे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। यदि इस विक्रय भूखण्ड का विक्रय के कारण कोई विवाद पैदा हो जावे, उपरोक्त भूखण्ड क्रेता के अधिकार से निकल जावे तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुझ विक्रेता की होगी। विवाद की स्थिति में दिनांक 03.06.2008 पढ़ा निर्णायिक रहेगा। भूखण्ड का नजरी नवशा इस प्रकार है :-

प्रभुदयाल यादव का प्लॉट

242 फुट 6 इंच

भूखण्ड कुल

क्षेत्रफल 2492 वर्गमी

92 फुट 6 इंच

सोनाराम सैनी की कृषि पूर्ण

10 फुट चौड़ा रास्ता

92 फुट 6 इंच

242 फुट 6 इंच

कृष्णा देवी का प्लॉट

अतः यह आवासीय भूखण्ड का विक्रय पत्र मैंने पूर्ण होश हवास से बिना किसी नशा पता के सोच समझ कर पढ़ा सुना जाकर विक्रय राशि सम्पूर्ण नगद प्राप्त करके गवाहान की मोजूदगी में लिख दिया है। जो सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे।
दिनांक : 31.12.2012

यह लेख मेरे द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर
पक्षकारों के निर्देशानुसार तैयार किया गया है।

३५८८१८

(हस्ताक्षर दस्तावेज़)

३५८८१८ दस्तावेज़ दर्ता दिनांक ३१/१२/२०१२

सौनाराम सैनी

हस्ताक्षर विक्रेता

स्थान : नीमकाथाना

हस्ताक्षर क्रेता

३५८८१८/८८

आद्यता

संत एवा राम निवासी नीमकाथाना
पा. ११ नीमकाथाना जिला सीकर राज.

हस्ताक्षर गवाहानः

ॐ सौनाराम



- जैलाराम सैनी पुत्र श्री सौनारायण सैनी उम्र 53 साल जाति माली निवासी मानपुरा तन नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

- रणजीत पुत्र श्री जैलाराम सैनी उम्र 30 साल जाति माली निवासी मानपुरा तन नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)



नाम क्रेता :-

संत राधा रमण शिक्षण संस्थान, पाटन रोड, मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) जरिये सचिव प्रभुदयाल यादव पुत्र श्री रुडमल यादव उम्र 66 साल जाति यादव निवासी रामनगर, भूदोली रोड, नीमकाथाना जिला सीकर (राज.), अध्यक्ष हरलाल सैनी पुत्र श्री सोहनलाल सैनी उम्र 45 साल जाति माली निवासी मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

3. दस्तावेज की किस्म : विक्रय-पत्र

4. मालियत : 9,68,000/-

5. विक्रय किये गये भूखण्ड का विवरण :- नगरपालिका नीमकाथाना (सीकर) के पट्टा संख्या 527 दिनांक 03.06.2008 द्वारा जारी पट्टा जिसका कुल क्षेत्रफल 2492 वर्गमीटर



हस्ताक्षर क्रेता
हरलाल सैनी

O
लाल सैनी

संत राधा रमण शिक्षण

रोमाना

हस्ताक्षर विक्रेता

२१

नववर रसीद संख्या

(मुक्त प्रति लेख्य-पत्र पेश करने वाले आवेदन पत्र पेश करने वाले अपने पास रहने देंगे)

(प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद)

1. पेश करने वाले या आवेदन-पत्र देने वाले का नाम	<u>सुनील राम</u>	860
2. लेख्य-पत्र की किम्बा	<u>कृष्णराम</u>	<u>माला</u>
3. विवरण फीस जो प्राप्त हुई	<u>R ० मात्र</u>	
4. प्रतिफल की रकम	<u>कृष्ण</u>	
क. फीस रजिस्ट्री :		
(1) साधारण फीस रजिस्ट्री	<u>968500</u>	9690
(2) लेख्य-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस		300
(3) धारा 64 से 67 के अनुसार ज्ञापन जारी करने की फीस		300
ख. धारा 57 के अनुसार प्रार्थियों के प्राविष्ट लेख्यों की प्रतिलिपि देने की फीस		
ग. विविध फीस :		
(1) साधारण अथवा विशेष अधिकार-पत्र प्रयाणीकरण फीस		
(2) धारा 62 के अनुसार अनुचाद प्रस्तुत करने की फीस		
(3) धारा 25 से 34 के अनुसार देर से लेख्य-पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण चुकाई हुई फीस		<u>43 430</u>
(4) कमीशन तथा धर पर जाने की फीस तथा भत्ता		
(5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस		
(6) संरक्षण फीस		
(7) मोहरबन्द लिफाके (जिसमें वसीयत पत्र रखा हो)		
अमानत रखने, बापिस लेने अथवा खोलने की फीस		<u>सर. ५४५०</u>
(8) पुनर्तक के निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस		
(9) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसमें रद्दी पदार्थों की विक्री इत्यादि की आय शम्पिलित है)		

र. ५३४८५८ पामा एटरमैट याग फीस 15570

फीस के प्राप्त होने की तारीख

३१/१२/६

नेतृय-पत्र या प्रतिलिपि तलाश सम्पादनकर्ता द्वारा दीदाव
जाने या पाने की तारीख

३१/१२/६

रजिस्ट्री करने वाले अफसर के हस्ताक्षर
अप पंजीयक
नीमकाथाना (सीकर)



राजस्थान RAJASTHAN

145648

भूखण्ड का मूल्य : 4,00,000/-

$$\text{स्टाम्प} = 20000 \times 1 = 20000/-$$

नाम विक्रेता :-

कृष्णा देवी पत्नी श्री मक्खनलाल सैनी उम्र 42 साल जाति
माली निवासी मानपुरा तन नीमोद तहसील नीमकाथाना
जिला सीकर (राज.)

नाम क्रेता :-

संत राधा रमण शिक्षण संस्थान, पाटन रोड़, मानपुरा
 तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) जरिये सचिव
 प्रभुदयाल यादव पुत्र श्री रुड़मल यादव उम्र 66 साल जाति
 यादव निवासी रामनगर, भूदोली रोड़, नीमकाथाना जिला
 सीकर (राज.), अध्यक्ष हरलाल सैनी पुत्र श्री सोहनलाल
 सैनी उम्र 45 साल जाति माली निवासी मानपुरा तहसील
 नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. विक्रय किये गये भूखण्ड का विवरण :- नगरपालिका नीमकाथाना (सीकर) के पट्टा संख्या 528 दिनांक 03.06.2008 द्वारा जारी पट्टा जिसका कुल क्षेत्रफल 1598 वर्गगज शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ भूखण्ड का विक्रय किया गया है। जिसकी नाम व सीमाएँ संलग्न नक्शे में अंकित है।

Glossary

ବ୍ୟାଲାଳମୁଖ
୧୯୭୫ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୨

लगातार 2

राधिव
शिक्षण संस्थान
पुस्तकालय

१०६
२००९ अप्रैल २०१५ शाहर क्रमांक ३१-१२-१२

२१

सताशा खण्डलावाल
स्टाम्प वेण्डर
ला. नं. RJ/89 नीमकाधाना

३१.१२.१२ ॥ से ३ PM
दार ... सोनवार को उप विधियक नीम का बाजार
हे समझ काढ़ना धनवा मकान मे
वी प्राप्त कुछांडी ५० मास्कन ले ले ५२
जाति माली विधि भानुषुरा
के हुए ।
विधि : ५० - ५२

उप विधियक नीम का बाजार

०८

१०६ VI

पंजीयन गत्ते ४०२० रुपये शुल्क ३००
इलारेसगेट शुल्क ३० गत्ते शुल्क सर. २०१०
कैमे शुल्क ७० कैल योग ६७५०
विधि राशि R. ३८ इनार्क ३१.१२.१२
३७३९

०८
उप पंजीयक नीमकाधाना

दूस वी. माली कुछांडी ५० मास्कन ले ले
दार ... ५२ जाति माली विधि भानुषुरा
विधाली भानुषुरा इस दस्तावेज को पढ़कर
दूस व समझ कर विषयावान करना स्वीकार किया तब
विधिकाल जी राशि लाए । वार लाएव माली
के रुप ५०००००/- वार लाएव माली
विधि कर पूर्व में कों

०८

१०६ VII

- विक्रय भूखण्ड ग्राम मानपुरा के ख.न. 72/2/1 पराकरा क्षेत्र में सड़क की पीछे स्थित है।
 - विक्रय भूखण्ड मौके पर खाली है, कोई निर्माण नहीं है।
 - विक्रय भूखण्ड स्थानीय निकाय एवं सरकारी भूमि में नहीं है।
 - विक्रय भूखण्ड शिक्षण संस्थान प्रयोजनाथ है।
 - फोटो कॉपी पट्टा, नजरी नक्शा, घोषणा पत्र, फोटो संलग्न हैं।

विशद् विवरण :- मैं कृष्णा देवी पत्नी श्री मक्खनलाल सैनी जाति माली निवासी मानपुरा तन नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) की रहने वाली हूँ नगरपालिका नीमकाथाना (सीकर) के पट्टा संख्या 528 दिनांक 03.06.2008 द्वारा जारी पट्टा जिसका कुल क्षेत्रफल 1598 वर्गगज शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ भूखण्ड का पट्टा मुझ विक्रेता के नाम से है। जिस पर मैं विक्रेता मालिक काबिज हूँ। मैंने मेरे उक्त भूखण्ड का पट्टा पंजीयन दिनांक 10.06.2008 पुस्तक संख्या 1, भाग 225 के पृष्ठ नं. 28, क्रमांक 1533 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 221, पृष्ठ संख्या 70 से 71 पर चस्पा किया गया इस प्रकार उक्त पट्टा भूखण्ड की मैं विक्रेता मात्र मालिक काबिज हूँ। उक्त पट्टा भूखण्ड को विक्रय करने का मुझ विक्रेता को पूर्ण अधिकार है। मुझ विक्रेता को पारिवारिक कार्यवश रूपये की आवश्यकता होने के कारण मैंने मेरे उपरोक्त वर्णित भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 1598 वर्गगज का विक्रय उपरोक्त क्रेता संत राधा रमण शिक्षण संस्थान, पाटन रोड, मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) जरिये सचिव प्रभुदयाल यादव पुत्र श्री रुडमल यादव जाति यादव निवासी रामनगर, भूदोली रोड, नीमकाथाना जिला सीकर (राज.), अध्यक्ष हरलाल सैनी पुत्र श्री सोहनलाल सैनी जाति माली निवासी मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) से कीमत राशि 4,00,000/- रूपये अंकेही चार लाख रूपये नगद प्राप्त करके विक्रय कर दिया हैं। कब्जा मौके पर उपरोक्त क्रेता का भूखण्ड पर करा दिया हैं। उक्त भूखण्ड के स्वामित्व के जो अधिकार मुझ विक्रेता को प्राप्त थे, वे समस्त अधिकार क्रेता को प्राप्त हो चुके हैं। विक्रय भूखण्ड सभी प्रकार के ऋण भारों से मुक्त हैं, कोई भार बाकी नहीं है। अब इस विक्रय किये गये भूखण्ड पर मुझ विक्रेता एवं मेरे वारिसान का कोई हक उत्तर नहीं रहा तथा भविष्य में भी नहीं होगा। क्रेता उक्त भूखण्ड अपने नाम पट्टा अमल अपने नाम करावे, रहन करे, विक्रय करे, निर्माण करावे, अपने शिक्षण संस्थान के उद्देश्य की पूर्ति के उपयोग-उपभोग में लेवे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। यदि इस विक्रय भूखण्ड का विक्रय के कारण कोई विवाद पैदा हो जावे, उपरोक्त भूखण्ड क्रेता के

अधिकार से निकल जावे तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुझ विक्रेता की होगी। विवाद की स्थिति में दिनांक 03.06.2008 पढ़ा निर्णायक रहेगा। भूखण्ड का नजरी नक्शा इस प्रकार है :-

सोनाराम सैनी का प्लॉट



10 फुट चौड़ा रास्ता

59 फुट

242 फुट 6 इंच

भूखण्ड कूल
क्षेत्रफल 1598 वर्गमील

59 फुट

सोनाराम सैनी की कृषि भूमि

242 फुट 6 इंच

सोनाराम सैनी की कृषि भूमि

अतः यह आवासीय भूखण्ड का विक्रय पत्र मैंने पूर्ण होश हवास से बिना किसी नशा पता के सोच समझ कर पढ़ा सुना जाकर विक्रय राशि सम्पूर्ण नगद प्राप्त करके गवाहान की मोजूदगी में लिख दिया है। जो सनद रहे वक्त जरूरत काम आवें।
दिनांक : 31.12.2012 अंक 100।

यह लेख मेरे द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर
पक्षकारों के निर्देशानुसार तैयार किया गया है।

लिखा दिया गया

(हस्ताक्षर तैयारकर्ता)

स्थान : नीमकाथाना
हस्ताक्षर क्रेता

हस्ताक्षर विक्रेता

१२ अक्टूबर २०१३
संत रामा एवं लिलामाला नीमकाथाना
पालन २०१३ तात्त्विक नाम संख्या १३२७१३
मिलान नाम संख्या १३०१३३२७१३

हस्ताक्षर गवाहान:

जैलाराम

संत रामा
नीमकाथाना
पालन २०१३

- जैलाराम सैनी पुत्र श्री सोनारायण सैनी उम्र 53 साल जाति माली निवासी मानपुरा तन नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

१२ अक्टूबर २०१३

- रणजीत पुत्र श्री जैलाराम सैनी उम्र 30 साल जाति माली निवासी मानपुरा तन नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)



नाम विक्रेता :-

कृष्ण दवा पत्ना आ मक्खनलाल सना उम्र 42 साल जात माला
निवासी मानपुरा तन नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
(राज.)


नाम क्रेता :-

संत राधा रमण शिक्षण संस्थान, पाटन रोड, मानपुरा तहसील
नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) जरिये सचिव प्रभुदयाल यादव पुत्र
श्री रुडमल यादव उम्र 66 साल जाति यादव निवासी रामनगर,
भूदोली रोड, नीमकाथाना जिला सीकर (राज.), अध्यक्ष हरलाल
सैनी पुत्र श्री सोहनलाल सैनी उम्र 45 साल जाति माली निवासी
मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

3. दस्तावेज की किस्म : विक्रय-पत्र

4. मालियत : 4,00,000/-

5. विक्रय किये गये भूखण्ड का विवरण :- नगरपालिका नीमकाथाना (सीकर) के
पट्टा संख्या 528 दिनांक 03.06.2008 द्वारा जारी पट्टा जिसका कुल क्षेत्रफल 1598 वर्गगज



४२ला ल सेवा
अध्यक्ष

५३११

शामिल रहे।

नम्बर रसीद संख्या

(यह प्रति लेख्य-पत्र पेश करने वाले आवेदन पत्र पेश करने वाले अपने पास रहने देंगे)

(प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद)

१. पेश करने वाले या आवेदन-पत्र देने वाले का नाम

२. लेख्य-पत्र की किम्ब

३. विवरण फीस में जो प्राप्त हुई

४. प्रतिकल की रकम

क. फीस रजिस्ट्री :

(१) साधारण फीस रजिस्ट्री

(२) लेख्य-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस

(३) धारा ६४ से ६७ के अनुसार ज्ञापन जारी करने की फीस

ख. धारा ५७ के अनुसार प्रार्थियों के प्रविष्ट लेखों की प्रतिलिपि

देने की फीस

ग. विविध फीस :

(१) साधारण अथवा विशेष अधिकार-पत्र प्रमाणीकरण फीस

(२) धारा ६२ के अनुसार अनुबाद प्रस्तुत करने की फीस

(३) धारा २५ से ३४ के अनुसार देर से लेख्य-पत्र प्रस्तुत

होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के

कारण चुकाई हुई फीस

(४) कमीशन तथा घर पर जाने की फीस तथा भता

(५) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस

(६) संरक्षण फीस

(७) मोहरबन्द लिफाफे (जिसमें वसीयत पत्र रखा हो)

अमानत रखने, बापिस लेने अथवा छोलने की फीस

(८) पुस्तक के निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस

(९) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसमें रद्दी पदार्थों की

विक्री इत्यादि की आय सम्मिलित है)

रजिस्ट्री करने की तारीख

लेख्य-पत्र या प्रान्तिकान्त तलाशी समिक्षकन करने के हस्ताक्षर और लाइन

जाने या पाने की तारीख

रजिस्ट्री करने वाले अफसर के हस्ताक्षर

उप पंजीयक

सीमकाठाना (सीकर)

25 दिसंबर 2010

रजिस्ट्री करने वाले अफसर के हस्ताक्षर

उप पंजीयक

सीमकाठाना (सीकर)



विक्रय-पत्र

145649

भूखण्ड का मूल्य : 5,85,000/-

स्टाम्प = 20000 X 1 = 20000/-

= 500 X 2 = 1000/-

टिकिट = 5000 X 1 = 5000/-

योग = 26000/-

नाम विक्रेता :-

प्रभुदयाल यादव पुत्र श्री रुडमल यादव उम्र 66 साल जाति
अहोर निवासी मानपुरा तन नीमोद तहसील नीमकाथाना
जिला सीकर (राज.)

नाम क्रेता :-

संत राधा रमण शिक्षण संस्थान, पाटन रोड, मानपुरा
तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) जरिये सचिव
प्रभुदयाल यादव पुत्र श्री रुडमल यादव उम्र 66 साल जाति
यादव निवासी रामनगर, भूदोली रोड, नीमकाथाना जिला
सीकर (राज.), अध्यक्ष हरलाल सैनी पुत्र श्री सोहनलाल
सैनी उम्र 45 साल जाति माली निवासी मानपुरा तहसील
नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. विक्रय किये गये भूखण्ड का विवरण :- नगरपालिका नीमकाथाना (सीकर) के पट्ठा संख्या 529 दिनांक 03.06.2008 द्वारा जारी पट्ठा जिसका कुल क्षेत्रफल 1913 वर्गगज शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ भूखण्ड का विक्रय किया गया है। जिसकी नाम व सीमाएँ संलग्न नक्शे में अंकित है।
2. विक्रय भूखण्ड ग्राम मानपुरा के ख.नं. 72/2/1 पैराफेरी क्षेत्र में सड़क के पीछे स्थित है।
3. विक्रय भूखण्ड मौके पर खाली है, कोई निर्माण नहीं है।
4. विक्रय भूखण्ड स्थानीय निकाय एवं सरकारी भूमि में नहीं है।

लगातार 2

१२४१८६५
आद्यक्ष

1977
20000) यात्राकालीन वर्षावाली की राशि 31-12-12

10000 x 12 = 20000
5000 x 12 = 5000
5000 x 22 = 10000
26000

14
31-12-12

सराजा खण्डेलावाळ
स्टाम्प बैंडर
मु. 2189 नीमकायाना

31-12-12 11 मे 3 पर्य

ग्राम बोगार की दूरी विना का दूरी

श्री पंकज याल प्रदेशी करमल प्रादेश 66-

3 रुपये

कै-1121

ग्राम बोगार

काम प्रदेशी करमल

OM

प्रदेशी करमल 5870 300
प्रदेशी करमल 300 2940
कर्मी करमल 3340 12750
रसीद 38 R 38 31-12-12
3741

काम प्रदेशी करमल

पंकज याल प्रादेश

दूष बी पंकज याल प्रादेश

दूष 66 जाति 3 रुपये

विदासी कै-11253 कै-1121

दूष न होना तो दूष न होना

दूष - 585000/ पात्र वाल प्रदेशी करमल

दूष - 585000/ पात्र वाल प्रदेशी करमल

OM



राजस्थान RAJASTHAN

5.

विक्रय भूखण्ड शिक्षण संस्थान प्रयोजनाथ है।

6.

फोटो कॉपी पट्टा, नजरी नकशा, घोषणा पत्र, फोटो संलग्न हैं।

विशद् विवरण : मैं प्रभुदयाल यादव पुत्र श्री रुडमल यादव जाति अहीर निवासी मानपुरा तन नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) का रहने वाला हूँ नगरपालिका नीमकाथाना (सीकर) के पट्टा संख्या 529 दिनांक 03.06.2008 द्वारा जारी पट्टा जिसका कुल क्षेत्रफल 1913 वर्गगज शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ भूखण्ड का पट्टा मुझ विक्रेता के नाम से है। जिस पर मैं विक्रेता मालिक काबिज हूँ। मैंने मेरे उक्त भूखण्ड पट्टा का पंजीयन दिनांक 10.06.2008 पुस्तक संख्या 1, भाग 225 के पृष्ठ नं. 30, क्रमांक 1535 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 221, पृष्ठ संख्या 74 से 75 पर चस्पा किया गया इस प्रकार उक्त पट्टा भूखण्ड की मैं विक्रेता मात्र मालिक काबिज हूँ। उक्त पट्टा भूखण्ड को विक्रय करने का मुझ विक्रेता को पूर्ण अधिकार है। मुझ विक्रेता को पारिवारिक कार्यवश रूपयो की आवश्यकता होने के कारण मैंने मेरे उपरोक्त वर्णित भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 1913 वर्गगज का विक्रय उपरोक्त क्रेता संत राधा रमण शिक्षण संस्थान, पाटन रोड, मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) जरिये सचिव प्रभुदयाल यादव पुत्र श्री रुडमल यादव जाति यादव निवासी रामनगर, भूदोली रोड, नीमकाथाना जिला सीकर (राज.), अध्यक्ष हरलाल सैनी पुत्र श्री सोहनलाल सैनी जाति माली निवासी मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) से कीमत राशि 5,85,000/- रूपये अंकेही पांच लाख पिचासी हजार रूपये नगद प्राप्त करके विक्रय कर दिया हैं। कब्जा मौके पर उपरोक्त क्रेता का भूखण्ड पर करा दिया है। उक्त भूखण्ड के स्वामित्व के जो अधिकार मुझ विक्रेता को प्राप्त थे, वे समस्त अधिकार क्रेता को प्राप्त हो चुके हैं। विक्रय भूखण्ड सभी प्रकार के ऋण भारों से मुक्त हैं, कोई भार बाकी नहीं है। अब

B 484107

लगातार 3

सचिव

संत राधा रमण शिक्षण संस्थान
पाटन रोड, मानपुरा, नीमकाथाना
पर्याप्त नं. 332713

४२८१८ नं.
अध्यक्ष

संत राधा रमण शिक्षण संस्थान
पाटन रोड, मानपुरा, नीमकाथाना

1977/502 फ़िल्म 31-12-12

2000x12=20000

500x12 5000

500x22 1000

26000

24
31-12-12

सताशा खण्डलावाल
स्टाप्प वेष्टर
ला. नं. RJ/89 नीमकाथाना


निम्नलिखित गिरावण करता है तथा (1) को जलाराम
गुप्त स्पानिशियर उम्र 53 वर्ष मात्र
जीवनाव
वीरप्रीति मानुषा (2)
बाति माली जलाराम 30
है पहचान करता है तथा (3) को गांडुरा
बाबा स्वयं नहीं

लाल रंगोदाक शोध का विषय।

लाल रंगोदाक शोध का विषय।

जलाराम

रूप
लाल



31-12-12

गुप्त स्पानिशियर 68 अमोल 6292

लाल रंगोदाक विषय 335 208-211

है 100 रुपये

नीमकाथाना द्वारा

लाल रंगोदाक द्वारा



राजस्थान RAJASTHAN

11311

B 484109

इस विक्रय किये गये भूखण्ड पर मुझ विक्रेता एवं मेरे वारिसान का कोई हक उज्ज्ञ नहीं रहा तथा भविष्य में भी नहीं होगा। क्रेता उक्त भूखण्ड अपने नाम पट्टा अमल अपने नाम करावे, रहन करे, विक्रय करे, निर्माण करावे, अपने शिक्षण संस्थान के उद्देश्य की पूर्ति के उपयोग-उपभोग में लेवे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। यदि इस विक्रय भूखण्ड का विक्रय के कारण कोई विवाद पैदा हो जावे, उपरोक्त भूखण्ड क्रेता के अधिकार से निकल जावे तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुझ विक्रेता की होगी। विवाद की स्थिति में दिनांक 03.06.2008 पट्टा निर्णायिक रहेगा। भूखण्ड का नजरी नक्शा इस प्रकार है :-

सोनाराम सैनी की कृषि भूमि

N

१० फूट चौड़ा रास्ता

25
71

मूख्य कुल
त्रफल 1913 वर्गिज

71 फूट

242 फुट 6 इंच

सोनाराम सैनी का प्लॉट

संत राधा रमण शिक्षण संस्थान
पाटन रोड, मानपुरा, नीमकाथाना
गुजरात (प्रीकर जाग.) 332713

लगातार 4
८२८१ अध्यक्ष

संत राधा रमण विद्यालय संस्थान
पाठ्य राड मनोरं नोमकाथामा
जिला साकर राज०) 332713

1977 Date 31-12-12
500

$$\begin{array}{r} 20000 \times 12 = 240000 \\ 5000 \times 12 = 60000 \\ 500 \times 12 = 6000 \\ \hline 260000 \end{array}$$

24
31-12-12

सताश खण्डलावाल
स्टाम्प वैष्णव
ला. नं. RJ/89 नीमकायाना

11411

अतः यह आवासीय भूखण्ड का विक्रय पत्र मैंने पूर्ण होश हवास से बिना किसी नशा पता के सोच समझ कर पढ़ा सुना जाकर विक्रय राशि सम्पूर्ण नगद प्राप्त करके गवाहान की मोजूदगी में लिख दिया है। जो सनद रहे वक्त जखरत काम आवें।
दिनांक : 31.12.2012 दस्ती । ००।

दिनांक : 31.12.2012 अमृत ।०१

यह लेख मेरे द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर
पक्षकारों के निर्देशन-नुसार तैयार किया गया है।

हस्ताक्षर तैयारकर्ता

(हस्ताक्षर तैयारकर्ता)

2000 पर्यावरण एवं संग्रह 7/2000

Dolly

हस्ताक्षर विक्रेता

स्थान : नीमकाथाना

हस्ताक्षर क्रेता



राजित
संस्कृत एवं शिल्प संस्थान

प्राप्ति दर्शक
पाठ्य संस्कृत विभाग
प्राप्ति नोटकार्डाना
प्राप्ति नोटकार्डाना
प्राप्ति नोटकार्डाना
प्राप्ति नोटकार्डाना

हस्ताक्षर गवाहानः

THOMAS

1. जैलाराम सैनी पुत्र श्री सोनारायण सैनी उम्र 53 साल जाति माली निवासी मानपुरा तन नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)



2. रणजीत पुत्र श्री जैलाराम सैनी उम्र 30 साल जाति माली निवासी मानपुरा तन नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

उप पञ्जायिक जीवनाधाना (सीख)




नाम विक्रेता :- प्रभुदयाल यादव पुत्र श्री रूडमल यादव उम्र 66 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तन नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

नाम क्रेता :- संत राधा रमण शिक्षण संस्थान, पाटन रोड, मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) जरिये सचिव प्रभुदयाल यादव पुत्र श्री रूडमल यादव उम्र 66 साल जाति यादव निवासी रामनगर, भूदोली रोड, नीमकाथाना जिला सीकर (राज.), अध्यक्ष हरलाल सैनी पुत्र श्री सोहनलाल सैनी उम्र 45 साल जाति माली निवासी मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

3. दस्तावेज की किस्म : विक्रय-पत्र

4. मालियत : 5,85,000/-

5. विक्रय किये गये भूखण्ड का विवरण :- नगरपालिका नीमकाथाना (सीकर) के पट्ठा संख्या 529 दिनांक 03.06.2008 द्वारा जारी पट्ठा जिसका कुल क्षेत्रफल 1913 वर्गगज



दस्ता लैटी
अध्यक्ष

नम्बर रसीद नं

838/2741

(वह प्रति लेख्य-पत्र पेश करने वाले आवेदन पत्र पेश करने वाले अपने पास रहने देंगे)

(प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद)

1. पेश करने वाले या आवेदन-पत्र देने वाले का नाम कुमार पाठक
2. लेख्य-पत्र की किसी 810 कृष्णपाल पाठक अठाहर
3. विवरण फीस जो प्राप्त हुई K. K. पाठक
4. प्रतिकूल की रकम

क. फीस रजिस्ट्री :

	रुपये	पैसे
(1) साधारण फीस रजिस्ट्री	5870	
(2) लेख्य-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस	300	
(3) धारा 64 से 67 के अनुसार जापन जारी करने की फीस	300	

ख. धारा 57 के अनुसार प्रार्थियों के प्रविष्ट लेखों की प्रतिलिपि देने की फीस

ग. विविध फीस :

- (1) साधारण अथवा विशेष अधिकार-पत्र प्रमाणीकरण फीस
- (2) धारा 62 के अनुसार अनुबाद प्रस्तुत करने की फीस
- (3) धारा 25 से 34 के अनुसार देर से लेख्य-पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण चुकाई हुई फीस
- (4) कर्माशन तथा घर पर जाने की फीस तथा भत्ता
- (5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस
- (6) संरक्षण फीस
- (7) मोहरबन्द लिफाफे (जिसमें वसीयत पत्र रखा हो) अप्राप्त रखने, वापिस लेने अथवा खोलने की फीस
- (8) पुस्तक के निरीक्षण अथवा तत्त्वाशी की फीस
- (9) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसमें रद्दी पदार्थों की विक्री इत्यादि की आय सम्मिलित है)

कुल रकम 2940

12750

फीस के प्राप्त होने की तारीख

31/12/12

लेख्य-पत्र या प्रतिलिपि तत्त्वाशी समीक्षक द्वारा के हस्ताक्षर और जटाय

जाने या पाने की तारीख

31/12/12

उप पंजीयक
रजिस्ट्री करने वाले अफसर मुकुल कुमार
मुकुल कुमार (सीकर)



कार्यालय नगरपालिका नीमकाथाना जिला सीकर

भू आवंटन पत्र

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(बी) के तहत पुनः आवंटन)

क्रमांक 527

भूखण्डधारी का नाम

पर्ती/पिता का नाम

पता

भूखण्ड संख्या

योजना का नाम

सहकारी समीति का नाम

जोन संख्या

क्रमांक संख्या

भूखण्ड सेनी

शास्त्र - मानपुरा, रननीमोट, त्रिभुवनगढ़ (सीकर)

क्र-नं. 7/2/1 पैराफरी घोष

क्रफल

2492 व. ग.

श्रीमात् रामेश्वर प्रधान

पैराफरी घोष

वार्ड संख्या

नगरपालिका, नीमकाथाना

नगरपालिका अधिनियम 1959 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5(3) न. वि. वि./3/99 दिनांक 10.7.99 की अनुपालना में उपरोक्त भूखण्ड प्राची को आवासीय उपयोग हेतु नियमित कर नियमनदर पर पुनः आवंटित किया जाता है। आवंटन की शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

1. यह आवंटन 99 वर्ष की लौज पर किया जाता है।
2. इस भूखण्ड पर नियमानुसार शहरी जमाबन्दी देय होगी जो कि वर्तमान में उस क्षेत्र की नियमानुसार समय-समय पर बढ़ातरी की जा सकेगी।
3. भवन निर्माण का कार्य आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा।
4. साइट प्लान के अनुसार सेट बैंक छोड़ने होंगे एवं पालिका के बिल्डिंग बाइलाइज के अनुसार निर्माण किया जा सकेगा। इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिए निर्धारित आवंटन-पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
5. इस आवंटन पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एस. डी. एफ. सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।
6. साइट प्लान नगरपालिका द्वारा अनुमोदित ले आठ प्लान के अनुसार जारी किया गया है।
7. आवंटी द्वारा सम्बन्धित नियमों, उप नियमों, राज्य सरकार/नगरपालिका के समय-समय पर जारी होने वाले नियमों, नियमों की अनुपालना की जाएगी।
8. प्राची के आवेदन अनुसार भूखण्ड पर प्राची का कब्जा निर्विवाद मानकर यह आवंटन पत्र जारी किया जा सकेगा। अतः कब्जे सम्बन्धित किसी प्रकार के विवाद के लिए नगरपालिका जिम्मेदार नहीं होगी।
9. आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तान्तरण नगरपालिका के नियमों के अनुसार नगरपालिका से करवाना होगा।
10. यह आवंटन पत्र भूखण्ड आवासीय प्रयोजनार्थ है। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक प.5(3) न. वि. वि./3/99 दिनांक 10.7.99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया जाता है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विनियमों के अनुसार कार्यदाही की जाएगी।
11. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन किये जाने पर उक्त आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
12. भूखण्ड की लौजडी का नियमानुसार पंजीयन करवाया जान अनिवार्य होगा।

भूखण्ड का विवरण निम्नानुसार है:-

भूखण्ड की लम्बाई × चौड़ाई

$$242.6' \times 92.6' = 2492 \text{ वर्गमीटर}$$

सामने (—)

पीछे (—)

साइड (—)

अधिकतम एफ.ए.आर. स्वीकार्य

भवन की अधिकतम स्वीकार्य ऊंचाई

नियमानुसार
12मीटर

५११३
तैयार कर्ता लिपिक:

के हस्ताक्षर

३६
कनिष्ठ अधिवक्ता,
नगरपालिका, नीमकाथाना

क्रमांक : भूमि / /

अधिकारी अधिकारी

नगरपालिका, नीमकाथाना (सीकर)

अधिकारी
अधिकारी

नगरपालिका, नीमकाथाना



कार्यालय नगरपालिका नीमकाथाना जिला सीकर

भू आवंटन पत्र

(प्रस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(बी) के तहत पुनः आवंटन)

क्रमांक : २०२४

भूखण्डधारी का नाम

पति/पिता का नाम

पता

भूखण्ड संख्या

योजना का नाम

सहकारी समीक्षा का नाम

जीन संख्या

स्त्रीमानि शशा केवी

स्त्री मन्दिर बाल सेवी

ग्राम- मानपुरा तनु नीमाटूर नीमकाथाना (सीकर)

स्थ.नं. ७३ मे स्थित (पॉर्ट्सी) दोफल

1598 क.न.

शिक्षण संस्थान प्रयोजनाय

पॉर्ट्सी फॉर्म

वार्ड संख्या

नगरपालिका, नीमकाथाना

नगरपालिका अधिनियम 1959 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5(3) न. वि. वि./3/99 दिनांक 10.7.99 की अनुपालना में उपरोक्त भूखण्ड प्रार्थी को आवासीय उपयोग हेतु नियमित कर नियमनदर पर पुनः आवंटित किया जाता है। आवंटन की शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

1. यह आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जाता है।
2. इस भूखण्ड पर नियमानुसार जाहरी जमाबन्दी देय होगी जो कि वर्तमान में उस क्षेत्र की नियमन दर/आरक्षित दर का 2.5% / 5.0% प्रतिवर्ष प्रति वर्ग गज है। जाहरी जमाबन्दी की उक्त राशि की नियमानुसार समय-समय पर बढ़ोतारी की जा सकेगी।
3. भवन निर्माण का कार्य आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा।
4. साइट प्लान के अनुसार सेट बैंक छोड़ने होंगे एवं पालिका के विलिंग बाइलाइज के अनुसार निर्माण किया जा सकेगा, इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिए निर्धारित आवंटन-पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सहम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
5. इस आवंटन पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल बैंक/सरकारी औण्डात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।
6. साइट प्लान नगरपालिका द्वारा अनुमोदित ले आउट प्लान के अनुसार जारी किया गया है।
7. आवंटी द्वारा सम्बन्धित नियमों, उप नियमों, राज्य सरकार/नगरपालिका के समय-समय पर जारी होने वाले निर्देशों, नियमों की अनुपालना की जाएगी।
8. प्रार्थी के आवेदन अनुसार भूखण्ड पर प्रार्थी का कम्जा निर्विवाद मानकर यह आवंटन पत्र जारी किया जा सकेगा। अतः क्षेत्र सम्बन्धित किसी प्रकार के विवाद के लिए नगरपालिका जिम्मेदार नहीं होगी।
9. आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तान्तरण नगरपालिका के नियमों के अनुसार नगरपालिका से करवाना होगा।
10. यह आवंटन पत्र भूखण्ड आवासीय प्रयोजनार्थ है। निर्वित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक प.5(3) न. वि. वि./3/99 दिनांक 10.7.99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया जाता है तथा नियमन अद्याय निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
11. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन किये जाने पर उक्त आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
12. भूखण्ड की लीजडील का नियमानुसार पंजीयन करवाया जान अनिवार्य होगा।

भूखण्ड का विवरण निम्नानुसार है-

$$\text{भूखण्ड की लम्बाई} \times \text{चौड़ाई} = 242.6' \times 59.3' = 1598 \text{ वर्गमीटर}$$

सामने (—)

पीछे (—)

साइड (—)

अधिकतम एक.ए.आर. स्वीकार्य

भवन की अधिकतम स्वीकार्य ऊचाई

निपालतार
12 मीटर

५०११९
१६०८
तैयार कर्ता लिपिक:

के हस्ताक्षर

३६
कनिल अधिकारी २००९

नगरपालिका, नीमकाथाना

अधिकारी अधिकारी

शास्त्री अधिकारी



कार्यालय नगरपालिका नीमकाथाना जिला सीकर

भू आंवटन पत्र

(नीमकाथाना भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(बी) के तहत पुनः आवटन)

भूखण्डधारी का नाम

पति/पिता का नाम

पता

भूखण्ड संख्या

योजना का नाम

सहकारी समीक्षा का नाम

जोन संख्या

लाई प्रनुद्यात्व यादव

लाई कडम्ब यादव

याम-मानपुरा तन नीमकाथाना (सीकर)

रक्षन यूट ने रिक्त (फॉर्म)

कंत्रफल 1913 व-ग

श्रीमान सरदार पवर जनरल

पैकेट श्रीम

वार्ड संख्या

नगरपालिका, नीमकाथाना

नगरपालिका अधिनियम 1959 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ५(३) न. वि. वि./३/९९ दिनांक १०.७.९९ की अनुपालना में उपरोक्त भूखण्ड प्रांथी को आवासीय उपयोग हेतु नियमित कर नियमनदर पर पुनः आवटित किया जाता है। आवटन की शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

1. यह आवटन ४४ वर्ष की लीज पर किया जाता है।
2. इस भूखण्ड पर नियमानुसार शाही जमाबन्दी देय होगी जो कि वर्तमान में उस क्षेत्र की नियमन दर/आरक्षित दर का २.५% / ५.०% प्रतिवर्ष प्रति वर्ग गज है। शाही जमाबन्दी की उक्त राशि की नियमानुसार समय-समय पर बढ़ावदारी की जा सकेगी।
3. भवन निर्माण का कार्य आवटन पत्र जारी होने की तिथि से ५ वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा।
4. साइट प्लान के अनुसार सेट बैक छोड़ने होंगे एवं पालिका के बिल्डिंग बाइलाज के अनुसार निर्माण किया जा सकेगा, इसके लिए भूखण्ड बारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिए निर्धारित आवटन-पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सकारी सहकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
5. इस आवटन पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अधिवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।
6. साइट प्लान नगरपालिका द्वारा अनुमोदित हो आउट प्लान के अनुसार जारी किया गया है।
7. आवटी द्वारा सम्बन्धित नियमों, उप नियमों, राज्य सरकार/नगरपालिका के समय-समय पर जारी होने वाले निर्देशों, निर्णयों की अनुपालना की जाएगी।
8. प्रांथी के आवेदन अनुसार भूखण्ड पर प्रांथी का कब्जा निर्विवाद मानकर यह आवटन पत्र जारी किया जा सकेगा। अतः कब्जे सम्बन्धित किसी प्रकार के विवाद के लिए नगरपालिका जिम्मेदार नहीं होगी।
9. आवटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर द्वेषा द्वारा भूखण्ड का हस्तान्दारण नगरपालिका के नियमों के अनुसार नगरपालिका से करवाना होगा।
10. यह आवटन पत्र भूखण्ड आवासीय प्रयोजनार्थ है। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक प.५(३) न. वि. वि./३/९९ दिनांक १०.७.९९ द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया जाता है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
11. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन किये जाने पर उक्त आवटन निरस्त किया जा सकेगा।
12. भूखण्ड की लीजडी का नियमानुसार पंजीयन करवाया जान अनिवार्य होगा।

भूखण्ड का विवरण निम्नानुसार है-

भूखण्ड की लम्बाई X चौड़ाई

$242.6' \times 71' = 1913 \text{ एकड़ी}$

सामने (—)

पीछे (—)

साइड (—)

अधिकतम एफ.ए.आर. स्वीकार्य

भवन की अधिकतम स्वीकार्य ऊंचाई

नियमानुसार
12 मी.

तीयार कर्ता स्लिपक:

के हस्तपत्र

कनिष्ठ अधिकारी,
३६-२००८

नगरपालिका, नीमकाथाना

क्रमांक : भूमि / /



अधिकारी अधिकारी
नगरपालिका, नीमकाथाना (सीकर)

अधिकारी
नगरपालिका, नीमकाथाना